# विजय स. भाकरे, उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ.

-------------------------------------------------------------------------------------

भुसंपादन प्र.क्र. 21/47/2015-16

मौजा. तिवसा ता. यवतमाळ जिल्हा- यवतमाळ.

## // अंतिम निवाडा //

(पारीत दिनांक 22/05/2017)

(भुसंपादन पुनवर्सन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम कायदा 2013)

**1) प्रस्तावना तथा प्राप्त भुसंपादन प्रस्ताव :-**

प्रस्तूत प्रकरण भुसंपादनाचे कार्यवाहीसाठी उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे विभाग, अजनी नागपुर यांचे पत्र दिनांक 17/12/2015 व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक रा३/भुसं२/कावि/12/2016 दिनांक 4/01/2016 नुसार प्राप्त झाले असून प्रस्तुत प्रस्ताव मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथील खाजगी शेत जमिनीचे असुन संपादीत करावयाची जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाचे कामा करीता संपादीत करावयाची आहे. प्रस्तावानुसार संपादीत करावयाचे जमिनीचे क्षेत्रफळ 46.92 हे.आर इतके आहे. सदर्हू प्रस्तावाची पडताळणी करुन व नंतर प्राथमिक चौकशी करुन, सदर प्रकरणासाठी भुसंपादनाची आवश्यकता आहे याची खात्री करुन घेऊन भुसंपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यात आली आहे.

**2) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) खालील अधिसुचना :-**

भुमि संपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याकरीता या कार्यालयाचे पत्र क्र.448/2016 दिनांक 11.05.2016 नुसार मा. जिल्हाधिकारी.यवतमाळ यांचे कडे मंजुरीस्तव सादर करण्यात आली आहे. त्यास मा. जिल्हाधिकारी (भूसं) यवतमाळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक रा३/भुसंर/कावि/316/2016 दिनांक 18.05.2016 नुसार मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार भुसंपादन कायदा 2013 चे अधिनियमाच्या कलम 11(1) ची अधिसुचना मौ. तिवसा ता. यवतमाळ येथील जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाचे कामा करीता भुसंपादनासाठी नियमानुसार खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र शासन राजपत्र | दिनांक 2-8 जून-2016 |
| दैनिक यवतमाळ वाणी | दिनांक 22/05/2016 |
| दैनिक देशोन्नती | दिनांक 21/05/2016 |
| गाव चावडी प्रसिध्दी | दिनांक 25/05/2016 |
| उविअ यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 26/05/2016 |
| तहसिलदार यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 26/05/2016 |
| जिल्हा नाझर | दिनांक 25/05/2016 |
| सचिव ग्रा.पं. तिवसा | दिनांक 25/05/2016 |
| गटविकास अधिकारी पं.सं.यवतमाळ | दिनांक 25/05/2016 |

**3) भुसंपादन संस्थेकडील प्राप्त प्रस्तावानुसार संयुक्त मोजणी अहवाल मागविणे :-**

उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या कार्यालयाचे पत्र ,दि.01/04/2010 अन्वये तालुका निरीक्षक, भुमि अभिलेख, यवतमाळ संपादित संस्थेचा प्रतिनिधी व सर्व संबंधीतांशी पत्र व्यवहार करुन संयुक्त मोजणी अहवाल सादर करण्याचे सुचविले असता त्यांनी संयुक्त मोजणी अहवाल या कार्यालयात दिनांक 16.12.2016 रोजी सादर केला. सदहू संयुक्त मोजणी अहवाला मध्ये एकुण संपादन करावयाचे क्षेत्र हे 48.25 हे.आर एवढे दर्शविण्यांत आले आहे.

सदर अहवालामध्ये गट क्र. 125 मधील 0.48 हे.आर. गट क्र. 126 मधील 2.28 हे.आर.,गट क्र. 149 मधील 1.63 हे.आर . 195 0.55 . जमिन अशी एकुण 4.94 हे.आर. जमिन सरकार मालकीची आहे. कलम 11 च्या अधिसुचनेमध्ये सदर जमिन संपादित होत असल्याचे अधिसुचित झालेले आहे. परंतु सदर शासन जमिनीचा निवाडयात समाविष्ट करता येत नसल्याने ती निवाडयातुन वगळून संपादन करावयाचे एकुण क्षेत्र 43.31 हे.आर. एवढे आहे.

सबब शासकीय जमिनीचा स्वतंत्र प्रस्ताव संपादन संस्थेने मा. जिल्हाधिकारी यांचे कडे सादर करावा.

**4) भुसंपादन 2013 15(1)(2)(3) :-**

भुसंपादन 2013 11(1) .

| | |
|---|---|
| गाव चावडी प्रसिध्दी | दिनांक 25/05/2016 |
| तहसिलदार यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 26/05/2016 |

**5) मालकी हक्क:-** संपादित जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत तलाठी मौजा तिवसा ता. यवतमाळ यांचे दप्तरी असलेले 7/12 गांव नमूना, तपासुन मालकी हक्काबाबत खात्री करण्यात आली. व त्यानंतर निवाडयातील प्रपत्र ई मधील रकाना क्र.2 मधील जमीन मालकाचा मालकी हक्क रकाना क्र.3 मध्ये दर्शविलेल्या स.न./ग.न. मधील संपादीत क्षेत्रावर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

**6) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना प्रसिध्दी:-**

भुसंपादन अधिनियम-2013 चे कलम 19 खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याकरीता या कार्यालयाने दिनांक 5.01.2017 रोजी प्रकरण मा. जिल्हाधिकारी.यवतमाळ यांचे कडे मंजुरीस्तव सादर करण्यात आले असता त्यास मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी दिनांक 5.01.2017 रोजी कलम-19 च्या अधिसुचनेस मंजुरात दिली आहे. त्यानुसार भुसंपादन कायदा 2013 चे अधिनियमाच्या कलम 19 ची अधिसुचना मौजा तिवसा ता. यवतमाळ येथील जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाचे कामा करीता भुसंपादनासाठी नियमानुसार खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र शासन राजपत्र | दिनांक 26-01- जाने.2017 |
| दैनिक लोकदूत | दिनांक 25/01/2017 |
| दैनिक आपला महाविदर्भ | दिनांक 26/01/2017 |
| उविअ यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 10/01/2017 |
| तहसिलदार यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 10/01/2017 |
| जिल्हा नाझर यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 10/01/2017 |
| तलाठी यांचेकडील प्रसिध्दी | दिनांक 10/01/2017 |
| सचिव ग्रा.पं..तिवसा प्रसिध्दी | दिनांक 10/01/2017 |
| गट विकास अधिकारी यवतमाळ प्रसिध्दी | दिनांक 24/01/2017 |

**7) कलम 21(1)(2)(3)(4)(5) चौकशी :** भुसंपादन अधिनियम 2013 नूसार कलम 21(1)(2)(3)(4)(5) अंतर्गत संबंधीत व्यक्तिंना सुचना पत्रे /नोटीस बजावुन दिनांक 01/04/2017 रोजी यवतमाळ येथे स्वतः अथवा अभिकर्त्या मार्फत हजर राहून आक्षेप दाखल करण्याचे सुचित केले असता खालीलप्रमाणे संबंधीत भुधारकांनी आक्षेप दाखल केले असुन आक्षेपाचे निराकरण खालीलप्रमाणे करण्यांत येत आहे.

| अ.क्. | भुधारकाचे नांव | गट नंबर | घेतलेला आक्षेप | आक्षेपाबाबत अभिप्राय. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आनंद कांतीलाल जयस्वाल | 293 | उर्वरीत 0.02 आर शेतजमिन संपादीत करण्यांत यावी. तसेच संपादीत जमिनीस प्रती एकरी 20 लक्ष प्रमाणे मोबदला देण्यांत यावा. | सदर आक्षेप अर्जाची संपादन संस्थेस पाठविण्यांत आली असुन उर्वरीत जमिन संपादन करणेबाबत निर्णय संपादन संस्था घेईल. संपादीत जमिनीचा मोबदला प्रती एकरी 20 लक्ष प्रमाणे मोबदला देण्यांबाबत भुधारकाने कोणताही पुरावा सादर न केल्यामुळे आक्षेप नाकारण्यांत येत आहे. |
| 2 | कौटुंबीक खाजगी टस्ट मा तुळजा भवानी तर्फे वहीवाटदार आंनंद मुकूंद सुभेदार. व इतर. | 290 व 266 | संपादीत जमिनीस प्रती एकरी 50 लक्ष प्रमाणे मोबदला देण्यांत यावा. | संपादीत जमिनीचा मोबदला प्रती एकरी 50 लक्ष प्रमाणे देण्यांबाबत भुधारकाने कोणताही पुरावा सादर न केल्यामुळे आक्षेप नाकारण्यांत येत आहे. |
| 3 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 266 | शेतामधील पाईपलाईन 4 इंची पिव्हीसी पाईपलाईन नोंदविली नाही. तसी नोंद घेऊन मोबदला देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे कडे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. |
| 4 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 198 | संपादीत क्षेत्रामध्ये 7 जामुन झाडे, आंबा झाडे व 1 कोठा नोंदविलेला नाही. तशी नोंद घेऊन मोबदला रुपये 5 लाख देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. |
| 5 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 194 | संपादीत क्षेत्रामध्ये 15 नारळाची झाडे, 5 करवंद झाडे नोंदविलेला नाही. तशी नोंद घेऊन मोबदला देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. |
| 6 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 261 | शेतामधील पाईपलाईन 3 इंची पिव्हीसी पाईपलाईन नोंदविली | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे कडे |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | नाही. तसी नोंद घेऊन मोबदला देण्यांत यावा. तसेच संपादीत जमीनीचा 25 लक्ष एकरी मोबदला देण्यांत यावा. | पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. मोबदला देण्याबाबत कोणताही पुरावा भुधारकाने दाखल केला नाही. त्यामुळे भुसंपादन अधिनियम 2013 नुसार मोबदला देण्यांत येईल. |
| 7 | ज्योत्सना आनंद सुभेदार | 269 | शेतामधील पाईपलाईन 4 इंची पिव्हीसी पाईपलाईन नोंदविली नाही. तसेची बोरीची 6 झाडे नोंदविले नाही तसी नोंद घेऊन मोबदला देण्यांत यावा. तसेच संपादीत जमीनीचा 20 लक्ष एकरी मोबदला देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. मोबदला देण्याबाबत कोणताही पुरावा भुधारकाने दाखल केला नाही. त्यामुळे भुसंपादन अधिनियम 2013 नुसार मोबदला देण्यांत येईल. |
| 8 | आनंद मुकूंद सुभेदार | 268 | शेतामधील पाईपलाईन 4 3 2 5 2 इंची पिव्हीसी पाईपलाईन नोंदविली नाही. तसी नोंद घेऊन मोबदला देण्यांत यावा. तसेच संपादीत जमीन ही हायवे पासुन 500 मिटरचे अंतरावर असल्यामुळे योग्य मोबदला देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. मोबदला देण्याबाबत कोणताही पुरावा भुधारकाने दाखल केला नाही. त्यामुळे भुसंपादन अधिनियम 2013 नुसार मोबदला देण्यांत येईल. |
| 9 | तुकाराम परसराम चव्हाण | 201 | संपादीत क्षेत्र कमी दर्शविले. बाजुच्या शेतावरुन ओलीत करतो. संपादीत जमिनीचा मोबदला रुपये 610000/- हेक्टर प्रमाणे देण्यांत यावा. संपादीत जमिनीस बारमाही ओलीताचा दर देण्यांत यावा. | सदर आक्षेप उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचेकडे पाठविण्यांत आला असून त्यांचा अभिप्राय प्राप्त होताच निवाडयात क्षेत्राबाबत दुरुस्ती करण्यांत येईल. गट नं.201 च्या सातबाराचे अवलोकन केले असता जलसिंचीत क्षेत्र दर्शविले नाही. त्यामुळे जिरायत दरानुसार मुल्यांकन काढण्यांत येईल. बारमाही ओलीताबाबत आक्षेप फेटाळण्यांत येत आहे. |
| 10 | योगेश वामनराव राठोड | 200 | संपादीत जमिनीस प्रती हेक्टरी रुपये 60 लक्ष प्रमाणे मोबदला देण्यांत यावा. | मोबदल्याबाबत भुधारकाने कोणत्याही प्रकारचा पुरावा जोडलेला नसल्यामुळे भुधारकाचा आक्षेप फेटाळण्यांत येत आहे. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | बहीनाबाई केश्व राठोड | 262 | संपादीत जमीन ही सुपीक असल्यामुळे संपादीत जमीनीचा योग्य् मोबदला देण्यांत यावा. | भुसंपादन अधिनियम -2013 अन्वये संपादीत जमीनीचा योग्य मोबदला देण्यांत येईल. |
| 12 | राम भिकाजी पवार व भरत भिकाजी पवार | 202 | संपादीत जमीन ही सुपीक असल्यामुळे संपादीत जमीनीचा योग्य् मोबदला देण्यांत यावा. | भुसंपादन अधिनियम -2013 अन्वये संपादीत जमीनीचा योग्य मोबदला देण्यांत येईल. |
| 13 | राम भिकाजी पवार व भरत भिकाजी पवार | 203 | संपादीत जमीन ही सुपीक असल्यामुळे संपादीत जमीनीचा योग्य् मोबदला देण्यांत यावा. | भुसंपादन अधिनियम -2013 अन्वये संपादीत जमीनीचा योग्य मोबदला देण्यांत येईल. |
| 14 | राजेश केशर राठोड | 262 | शिल्लक जमिनीचा मोबदला देण्यांत यावा. | आक्षेप अर्जाची छायाप्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यवतमाळ यांचेकडे पाठविण्यांत आली असुन त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त होताच तशी दुरुस्ती निवाडयात करण्यांत येईल. |
| 15 | संजय केशर राठोड | 262 | मुलाला नोकरी देण्यांत यावी तसेच उर्वरीत शेतजमिन संपादीत करण्यांत यावी. | सदर आक्षेप रेल्वे विभागाकडे पाठविण्यांत आलेला असुन तयांचा अभिप्राय प्राप्त होताच तसे भुधारकास कळविण्यांत येईल. |
| 16 | चंद्रकला प्रकाश सिडाम | 263 | संपादीत जमिनीचा मोबदला मला देण्यांत यावा. | ईतर वारसांचे संमतीपत्र आनल्यानंतर मोबदला देण्यांत येईल. |
| 17 | रुख्माबाइ वामन राठोड | 293 | सदर गट नंबरचा वाद हा कोर्टामध्ये चालु असल्यामुळे संपादीत जमिनीचा मोबदला आनंद जैस्वाल यांना देण्यांत येऊ नये. | सदर गट नंबरबाबत दिवाणी न्यायालयाचे निकालाप्रमाणे मोबदला वाटप करण्यांत येईल. |
| 18 | तोताराम केशर राठोड | 262 | संपादीत जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्याबाबत. | भुसंपादन अधिनियम -2013 अन्वये संपादीत जमीनीचा योग्य मोबदला देण्यांत येईल. |
| 19 | नारायण दुलसिंग राठोड | 291/2 | विहीर व संपादीत जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यांबाबत. | सदर विहीरीबाबत आक्षेपाची प्रत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचेकडून पाठविण्यांत आली असुन त्यांचा अहवाल प्राप्त् होताच योग्य् ती कार्यवाही करण्यांत येईल. संपादीत जमिनीचा मोबदला भुसंपादन अधिनियम-2013 अन्वये देण्यांत येईल. |

8) स्थानिक परिस्थीती :- मौजा तिवसा ता. जि.यवतमाळ येथील भौगोलीक स्थिती व निवाडयासाठी आवश्यक असलेली माहीती खालील प्रमाणे आहे.

1) सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या –3473
2) तालुका मुख्यालयापासुन गावांचे अंतर - 10 कि.मी.
3) मुख्य रस्ता - आहे
4) शैक्षणिक सोई - 10 वी पर्यंत
5) आठवडी बाजाराचे ठिकाण - तिवसा
6) लोकांचा मुख्य व्यवसाय - शेती व शेतमजूर
7) संपादित जमिनीपासुन गावाचे अंतर - गावालगत
8) ग्राम पंचायत आहे काय ? - होय
9) ईतर उपलब्ध् सुविधा - विज, रस्ते इत्यादी
10) सिंचनाच्या सोई - विहिर, बोअरवेल
11) संपादित जमिनी कशा प्रकारच्या आहेत - कृषक (मध्यम व काळीची आहे)

**9) भुसंपादनाखालील क्षेत्र :** कलम 19 ची अधिसुचना प्रसिध्द केल्यानंतर अंतिमरीत्या संपादीत करावयाच्या जमिनीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र | भुधारकाचे नांव. | स.न/ ग.न. | संपादीत क्षेत्र हे.आ. | प्र.हे. आकार | एकून क्षेत्र | एकुण आकार | भो. वर्ग | ग्रुप क्रमाक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सरकार | 125 | 0.48 | | | | | |
| 2 | सरकार | 126 | 2.28 | | | | | |
| 3 | शंकर चिंधुजी गजबे व इतर 2 | 156 | 0.45 | 0.82 | 1.40 | 1.15 | 2 | 1 |
| 4 | विनोद उध्दव चव्हाण व इतर 2 | 155 | 0.23 | 0.77 | 1.36 | 1.05 | 2 | 1 |
| 5 | शांतीबाई उत्तम पवार व इतर 4 | 154 | 0.23 | 0.75 | 1.33 | 1.00 | 2 | 1 |
| 6 | बंडू सकरू चव्हाण व इतर 5 | 153 | 0.24 | 0.75 | 1.33 | 1.00 | 2 | 1 |
| 7 | सरकार | 149 | 1.63 | | | | | |
| 8 | सिमा विष्णू आडे व इतर 4 | 151 | 1.17 | 0.63 | 2.00 | 1.25 | 2 | 1 |
| 9 | उमेश धनसिंग राठोड व इतर- 2 | 152 | 0.07 | 0.75 | 1.33 | 1.00 | 2 | 1 |
| 10 | मोतीराम रंगराव जाधव | 172 पै | 0.34 | 1.01 | 1.93 | 1.95 | 1 | 1 |
| 11 | नारायण परसराम राठोड | 172 पै | 0.42 | 1.01 | 1.93 | 1.95 | 1 | 1 |
| 12 | रविकांत मोहन राठोड | 173 | 0.56 | 0.75 | 1.33 | 1.00 | 1 | 1 |
| 13 | जयकांत मोहन राठोड | 174 | 0.56 | 0.75 | 1.33 | 1.00 | 1 | 1 |
| 14 | पार्वती मोहन राठोड | 175 | 0.66 | 1.22 | 1.56 | 1.90 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | राजेश विष्णू राठोड | 179 | 0.90 | 0.96 | 1.97 | 1.90 | 1 | 1 |
| 16 | कौसल्याबाई विष्णू राठोड | 180 | 0.84 | 0.96 | 1.96 | 1.90 | 1 | 1 |
| 17 | राम भिकाजी पवार<br>भरत भिकाजी पवार | 203 | 2.03 | 2.95 | 5.74 | 16.95 | 2 | 3 |
| 18 | भरत भिकाजी पवार | 202 पै | 0.99 | 2.97 | 2.02 | 6.00 | 1 | 1 |
| 19 | मंदा सुर्यभान काळे | 202 पै. | 0.28 | 2.97 | 2.02 | 6.00 | 1 | 1 |
| 20 | तुकाराम परसराम चव्हाण | 201 | 0.69 | 2.97 | 2.00 | 5.95 | 1 | 1 |
| 21 | योगेश वामनराव राठोड | 200 | 2.29 | 3.54 | 5.93 | 21.00 | 1 | 2 |
| 22 | राजश्री आनंदराव सुभेदार | 184 | 0.06 | 3.03 | 11.88 | 36.00 | 1 | 3 |
| 23 | स्मिता मोहन सुभेदार | 199 | 2.02 | 2.88 | 9.41 | 27.15 | 1 | 3 |
| 24 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 198 | 4.48 | 2.67 | 13.12 | 35.05 | 1 | 3 |
| 25 | आनंदराव मुकूंदराव सुभेदार<br>मोहन मुकूंद सुभेदार | 194 | 1.50 | 2.97 | 5.76 | 17.10 | 1 | 3 |
| 26 | ज्योती पल्हाद भलावी | 192/4 | 0.55 | 1.85 | 2.00 | 3.70 | 1 | 2 |
| 27 | पल्हाद श्रीरंग भलावी | 192/5 | 1.14 | 1.92 | 3.00 | 5.75 | 1 | 2 |
| 28 | सरकार | 195 | 0.55 | | | | | |
| 29 | लिलाबाई झामा जाधव व इतर 1 | 259 | 0.08 | 2.12 | 2.36 | 5.00 | 1 | 2 |
| 30 | सुमित्रा विठठल चव्हाण व इतर 3 | 260 | 0.48 | 2.43 | 1.13 | 2.75 | 1 | 2 |
| 31 | आनंदराव मुकूंद सुभेदार व एक | 261 | 2.45 | 3.67 | 2.93 | 10.75 | 1 | 3 |
| 32 | तोताराम केशव राठोड | 262 पै | 0.01 | 2.71 | 2.95 | 8.00 | 1 | 3 |
| 33 | संजय केशव राठोड | 262 पै | 0.51 | 2.71 | 2.95 | 8.00 | 1 | 3 |
| 34 | राजेश केशव राठोड | 262 पै | 0.26 | 2.71 | 2.95 | 8.00 | 1 | 3 |
| 35 | बहिणाबाई केशव राठोड व इतर | 262 पै | 0.57 | 2.71 | 2.95 | 8.00 | 1 | 3 |
| 36 | चंदकला पकाश सिडाम व इतर 6 | 263 | 0.73 | 3.00 | 1.33 | 4.00 | 2 | 3 |
| 37 | सुधाकर गणपत राऊत | 271 | 2.61 | 2.54 | 10.59 | 26.90 | 1 | 3 |
| 38 | शशीकांत यशवंत बळी<br>रेवती विकास जोशी | 266 | 2.05 | 2.94 | 9.77 | 28.75 | 1 | 3 |
| 39 | आनंदराव मुकुंदराव सुभेदार व इतर 1 | 268 | 3.08 | 3.51 | 12.09 | 42.40 | 1 | 3 |
| 40 | जोत्सनाबाई आनंदराव सुभेदार | 269 | 0.87 | 3.45 | 9.78 | 33.70 | 1 | 3 |
| 40 | आनंदराव मुकुंदराव सुभेदार | 289 पै | 0.31 | 3.16 | 5.79 | 18.30 | 1 | 3 |
| 42 | महेश सुभाष शर्मा | 289 पै | 0.07 | 3.16 | 5.79 | 18.30 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ललीता पकाश पवार | 310 | 0.07 | 2.09 | 2.37 | 4.95 | 1 | 2 |
| 44 | पुष्पाबाई विठ्ठलराव राठोड | 310 | 0.75 | 2.09 | 2.37 | 4.95 | 1 | 2 |
| 45 | शशीकांत यशवंत बळी व इतर 3 | 290 | 0.30 | 3.10 | 12.65 | 39.25 | 1 | 3 |
| 46 | बबन डोमा राठोड<br>जगन डोमा राठोड | 292 | 1.53 | 3.49 | 1.62 | 5.65 | 1 | 3 |
| 47 | छगन राठोड व इतर | 291/1पै | 1.53 | 3.31 | 1.21 | 4.00 | 1 | 3 |
| 48 | नारायण दुलसिंग राठोड | 291/2पै | 0.46 | 3.50 | 3.47 | 12.15 | 1 | 3 |
| 49 | अन्नपुर्णा नारायण राठोड | 291 पै | 0.11 | 3.62 | 2.25 | 8.15 | 1 | 3 |
| 50 | मंदा श्रीराम शिराळ | 291 पै | 0.02 | 3.50 | 3.47 | 12.15 | 1 | 3 |
| 51 | आनंद कांतीलाल जैयस्वाल | 293 | 1.60 | 3.41 | 3.24 | 11.05 | 1 | 3 |
| 52 | रूख्माबाई वामन राठोड | 293 | 0.16 | 3.41 | 3.24 | 11.05 | 1 | 3 |
| | | एकूण | **48.25** | | | | | |

सदर पकरणातील गट नं. 291/1 पै मधून संपादन होत नसल्याबाबत चा अहवाल उपअधिक्षक, भुमि अभिलेख,यवतमाळ व रेल्वेचे अभियंता श्री.तायडे यांचे कडुन पत्र दि. 17.05.2017 ला प्राप्त झाला असल्यामुळे सदर क्षेत्र ई विवरणपत्रामधुन वगळण्यात येत आहे.

10)

| अ.क्र | भुधारकाचे नांव. | स.न/ग.न. | संपादीत क्षेत्र हे.आर |
|---|---|---|---|
| 1 | सरकार | 125 | 0.48 |
| 2 | सरकार | 126 | 2.28 |
| 3 | सरकार | 149 | 1.63 |
| 4 | सरकार | 195 | 0.55 |
| | | एकुण | 4.94 |

**11) जमीनीचे मुल्यांकन :-** भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11 अन्वये सदर भुसंपादन प्रकरणात अधिसुचना दिनांक 2/06/2016 रोजी राजपत्रामध्ये आणिी दिनांक 25/05/2016 रोजी गांव चावडीवर प्रसिध्द करण्यांत आली आहे. प्रकरणातील जमिनीचे मुल्यांकन करण्याकरीता सर्वप्रथम संपादीत करावयाच्या शेतजमिनीची शेतसा-यानुसार वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रकरणातील शेतजमिनीची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे.

| ग्रुप नंबर | आकारगट | समाविष्ट स.न./ग.न. |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 ते 1.25 | 125, 126, 156, 155, 154, 153, 149, 151, 152, 172, 173, 174, 175, 179, 180 |
| 2 | 1.26 ते 2.50 | 192/4, 192/5, 259, 260, 310, |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 2.51 ते 5.00 | 203, 202, 201, 200, 184, 199, 198, 194, 261, 262, 263, 271, 266, 268, 269, 289, 290, 292, 291/2, 291/1, 293. |

**11) अ.**

**खरेदी विक्री व्यवहार नूसार मुल्यांकन :-** प्रकरणात कलम-11 ची अधिसुचना चावडीवर दिनांक 25/05/2016 रोजी प्रसिध्द झाली असल्याने सदर दिनांकापासुन मागील 3 वर्षाच्या खरेदीविक्री व्यवहारांरची माहीती दुय्यम निबंध यवतमाळ यांचेकडून (इंडेक्स-II) मागविण्यांत आले आहे. त्यामध्ये एकुण 10 व्यवहार प्राप्त झाले त्यापैकी व्यवहार क 1 आकार गट 3 व व्यवहार क 2 हे व्यवहार सन 2012 मधील असल्याने निष्कासित केले असल्याचे सं.स.न.र.यवतमाळ यांनी मंजुरी पत्रात नमुद केले आहे. तसेच आकार गट 2 चे व्यवहार क्र. 3,4,5 व 9 हे नदिलगत असुन त्यात विहिरी असल्याचे दिसुन येते यावरून व्यवहार अंतर्गत जमिनीमध्ये सिंचन होत असल्याचे शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच व्यवहार क्र. हा तुलनियदृष्टया होत तसेच प्रकरणातील कास्तकारांना सुध्दा कलम-21 अंतर्गत नोटीस बजावणी करुन जमीनीच्या मुल्यांकनाबाबत पुराव्यासह दावे/मागणी नोंदविण्याची संधी देण्यांत आली.

**ब-1) कलम-26(2)(ब) नुसार मुल्यांकन :-**

प्रारुप निवाडयामध्ये मुल्यांकनाचे दिनांकाचे लगतपुर्व 3 वर्षापुर्वीचे एकूण 10 ख.वि. व्यवहार उपलबध आहेत. आकारमान गट 1 चा खरेदीविक्री व्यवहार उपलब्ध नसुन. आकारमान गट नं. 2 चे 6 व्यवहार व आकारमान गट क्र. 3 चे 4 व्यवहार उपलब्ध आहे. व्यवहार क्र.1 हा आकारगट क्र. 3, व्यवहार क्र.2 आकारमान गट क. 2 असून सदर व्यवहार सन 2012 चे असल्याने निष्कासीत करण्यांत आले असल्याचे स.स.न.र. यवतमाळ यांनी त्यांचे अहवालात नमुद केले आहे.

**ब-2) आकारमान गट नं.2 :-** उक्त गटामध्ये व्यवहार . 3, 4, 5, 9 व 10 उपलब्ध आहेत. व्य्वहार नं.3, 5 व 9 हे व्यवहार नदीलगत असुन, व्यवहार क.4 हा नदीलगत असुन, त्यांत विहीर असल्याचे दिसून येते. यावरुन उपरोक्त व्यवहार अंतर्गत जमिनीमध्ये सिंचन होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच व्यवहार क्र. 10 हा तुलनीय दृष्टया सर्वसाधारण जास्त दराने झालेला असल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे आकारमान गट क्र. 2 चे व्यवहर मुल्य दर निश्चितीसाठी विचारात घेणे संयुक्तीक होणार नाहीत.

आकार गट क्र. 3 :- उक्त गटामध्ये व्यवहार क्र. 6,7 व 8 उपलब्ध आहे. उक्त व्यवहारापैकी 50 % दराचे खालील प्रमाणे व्यवहार विचारात घेता व त्यास मुल्यांकनाच्या दिनांकापर्यंत कालमानाकरीता वार्षिक 10 % वाढ देता. संपादनाखालील आकारमान गट क्र. 3 च्या जमिनीचा सरासरी दर खालील प्रमाणे आहे.

| व्यवहार क्रमांक | व्यवहाराचा दिनांक | व्यवहाराचा प्र.हे.दर | मुल्यांकनाचा दि. 25.05.16 रोजीचा प्र.हे.दर रू. |
|---|---|---|---|
| 7 | 29.01.15 | 5,00,000/- | 5,50,000/- |
| 8 | 10.03.15 | 4,78,723/- | 5,26,595/- |
| | | एकुण | 10,76,595 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | समजा 10,76,600 -:- 2 = 5,38,300/- आकार गट क्र. 3 करीता |

**ब-3) आकारमान गट क्र. 2 :** उक्त आकारमान गट क्र. 3 चे दराचे 10 % घट दिल्यास उक्त आकारणी गटाचे जमिनीकरीता दर रू. 4,84,470/- (समजा रू. 4,84,500/-) प्रति हेक्टर निर्धारित होईल.

**ब-4) आकारमान गट क्र. 1 :** उक्त आकारमान गट क्र. 2 चे दराच 10 % घट दिल्यास उक्त आकारणी गटाचे जमिनीकरीता दर रू. 4,36,050/- प्रति हेक्टर निर्धारित होईल.

उपरोक्त आकार गट क्र. 1 आणि 2 मधील दरापैकी नविन भुसंपादन कायदयातील कलम-26 मधील तरतुदीनुसार महत्तम दर विचारात घेता संपादनाखालील शेतसारा आकारगट क्र. 1,2व 3 करीता खालील प्रमाणे दर हे.दर अंतिम निवाडयात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

**12) हंगामी ओलीत/बारमाही ओलीत :-** सदर प्रकरणातील संपादित होणा-या गट 184,199,198,194, 268, 269,291/1 मध्ये 7/12 चे अवलोकन केले असता जलसिंचित पिकाच्या नोंदी आढळून आल्यात. त्यामुळे सदर गट नं. मधील जलसिंचित पिकांबाबत प्रत्यक्ष मोका पाहणी करून रेल्वे मार्गाच्या सिमांकनाचा विचार करून ओलीताच्या क्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष मोका पाहणी करून रेल्वे विभागाचे अधिकारी, तलाठी आणि भुसंपादन कार्यालयातील मंडळ अधिकारी यांचा संयुक्त मोका पाहणी अहवाल मागविण्यात आला. त्यानुसार दिनांक 05.05.2017 रोजी कार्यकारी अभियंता श्री.डी.के.शुक्ला, मध्य रेल्वे,श्री.हिरूळकर, तलाठी तिवसा व या कार्यालयातील श्री.नारनवरे, मंडळ अधिकारी आणि संबंधित भुधारक यांचे समक्ष मोका पाहणी करून उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, वर्धा यांचे पत्र दि. 18.05.2017 अन्वये अहवाल सादर करण्यात आला. सदर अहवाला मध्ये गट क. 268,184,198,199,194 व 291/2 मध्ये ऊस हे बारमाही ओलीताचे पिक संपादन क्षेत्रामध्ये उभे असल्याचे आढळून आले. सदर गट नंबर मध्ये मागील 3-4 वर्षापासुन बारमाही ओलीताची पिके असल्याचे निदर्शनास आले.

उपरोक्त गट नंबर मधील मागील 3 वर्षाच्या ओलीताच्या पिकांची सरासरी काढून त्याप्रमाणात ओलीताचे संपादित क्षेत्र विचारात घेवून मुल्यांकन करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार खालील तक्तयात सरासरी काढण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | गट क्रमांक | वर्ष/पिकाखालील क्षेत्र हे.आर | | | 3 वर्षातील एकुण क्षेत्र हे.आर | **मागील 3 वर्षाचे सरासरी क्षेत्र हे.आर** | संपादित क्षेत्र हे.आर | गांव नमुना-12 मधील रकाना क्र.7 व 10 मधील पिकाचे नांव | हंगामी/ बारमाही ओलीत. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13-14 हे.आर | 14-15 हे.आर | 15-16 हे.आर | | | | | |
| 1 | 184 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 4.66 | 0.06 | उस | बारमाही |
| 2 | 199 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | 5.33 | 2.02 | उस | बारमाही. |
| 3 | 198 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 | 4.48 | उस | बारमाही. |
| 4 | 194 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 9.00 | 3.00 | 1.50 | उस | बारमाही. |
| 5 | 268 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 3.08 | उस | बारमाही. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 291/2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 3.54 | 1.18 | 1.53 | उस | बारमाही. |

उपरोक्त तक्तयात नमुद केल्याप्रमाणे पिक पे-याची सरासरी काढण्यात येवून बारमाही पिकाच्या संपादित क्षेत्रातील जमिनीकरीता जिरायत दराच्या दुप्पट दर अंतिम निवाडयात समाविष्ट करण्यात येत आहे. याबाबत मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क.367 दि. 04.05.17 नुसार मंजुरी प्राप्त झाली आहे.

**अ) शिघ्रसिध्द गणकानूसार:-**

भुसंपादन अधिनियम-2013 नूसार कलम 11 ची अधिसुचना राजपत्रात दिनांक 2/06/2016 रोजी प्रसिध्द झाल्याने या दिनांकास 1/01/2016 ते 31/12/2016 चे शिघ्रसिध्द गणक विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुय्यम निबंधक यवतमाळ यांचे कडून मौ. तिवसा ता. यवतमाळ जिल्हा यवतमाळ येथील सन 2016 चे शिघ्रसिंध्द गणक प्राप्त करुन घेण्यात आले आहे. सन 2016 चे शिघ्रसिध्द गणकानुसार मौ. तिवसा ता. यवतमाळ हे गांव झोन क्रमांक 5 मध्ये येत असून जमिनीचा शेतसारा आकारमानानुसार खालीलप्रमाणे दर दर्शविले आहे.

| आकारागट क्रमांक | शिघ्रशिध्द गणकानुसार रु.प्र.हे. |
|---|---|
| 1 | रु.497000/- |
| 2 | रु.520000/- |
| 3 | रु.537000/- |

**ब) या गावाचे किंवा परीसरातील पुर्वी जाहीर झालेल्या निवाडयाची माहीती :**

भुसंपादन आधिनियम-2013 नूसार संपादीत जमिनीच्या 10 कि.मी. परीसरातील भुसंपादन कायद्यानुसार कोणतेही निवाडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.

**क) अंतिम मुल्यांकन :-** परीच्छेद 12 चे (अ)(ब) (क) (ड) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या संपादीत करावयाच्या जमिनीच्या प्रति हे. जिरायत दरांचा तुलनात्मक तक्ता खालील प्रमाणे आहे.

| ग्रुप क्र. | खरेदीविक्री व्यवहार नुसार रु.प्र.हे.दर | शिघ्रशिध्द गणकानुसार रु.प्र.हे. |
|---|---|---|
| 1 | रुपये 436050/- | रु.497000/- |
| 2 | रुपये 484500/- | रु.520000/- |
| 3 | रुपये 538300/- | रु.537000/- |

जिरायत दर प्.हे. ,हंगामी दर प.हे. व बारमाही दर प.हे. खालील पमाणे

| ग्रुप क्र. | जिरायत दर प्रती हेक्टरी रूपये | बागायत जमिनीकरीता दयावयाचे दुप्पट दर प.हे. | हंगामी जमिनीकरीता दयावयाचे दुप्पट दर प.हे. | कोणत्या पध्दतीने फायदेशीर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,97,000/- | 994000/- | 745500/- | शिघ्रसिध्द गणका नुसार |
| 2 | 5,20,000/- | 1040000/- | 780000/- | शिघ्रसिध्द गणका नुसार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,38,300/- | 1076600 | 807450/- | खरेदीविक्री व्यवहार नुसार |

वरील तक्त्यानुसार खालील प्रमाणे ग्रुप निहाय दर शेतकयांना फायदेशिर असल्यामुळे ते अंतिम निवाडयात समाविष्ट केले आहे.

वरील प्रमाणे निर्धारीत करावयाचे दर हेक्टरी दरास महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसुचना दि.26.5.15 मध्ये दिलेल्या निदेर्शनुसार मौजा तिवसा ता यवतमाळ हे गांव अनुसुची मधील अ.क्र. 3 मधील ग्रामिण क्षेत्रात समाविष्ठ असल्याने त्याकरीता गुणांक (2.00) हा दर वापरण्यात येत असुन त्याची परिगणणा निवाडा ई पत्रकात करण्यात आली आहे

**13) भुसंपादन अधिनियम-2013 नूसार कलम २९ (१) ते (३) नुसार जमिनीशी किंवा ईमारतीशी संलग्न असलेल्या गोष्टीचे मुल्यांकन :-**

**अ) पोटखराब क्षेत्राचे मुल्यांकन :-** संपादीत क्षेत्रात शेतजमीन ही पोटखराब जमिन नाही.

**ब) फळझाडाचें मूल्यांकन :-** संपादन क्षेत्रात गट क्र.261,262 मध्ये फळझाडे असल्यामुळे सदर झाडांचे मुल्यांकन या कार्यालयाचे पत्र क्र.9/2017 दि.2.01.2017 अन्वये मागण्यांत आले असून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यवतमाळ यांचे पत्र क्र.1661/2017 दिनांक 1.04.2017 अन्वये फळझाडांचे मुल्यांकन प्राप्त झाले असुन सदर मुल्यांकन निवाडा ई तक्त्यांत समाविष्ट करण्यांत आले आहे. मुल्यांकनाचे बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अनियमतता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहील.

| अ. क्र. | भुधारकाचे नांव | गट नं | फळझाड प्रकार/संख्या | प्राप्त मुल्यांकन रूपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निर्मला मुकुंद सुभेदार | 261 | पेरू- 3<br>नारळ-1<br>लिंबू -2 | 32664<br>6330<br>8873 |
| 2 | बहिणाबाई केशव राठोड | 262 | बोर - 2 | 11663 |
| | | | एकुण रूपये | 59530/- |

**क) वन झाडाचे मुल्यांकन :-** संपादन क्षेत्रात गट क्रमांक 192/4,261,271 मध्ये वनझाडे असल्यामुळे सदर वनझाडांचे मुल्यांकन उपवनसंरक्षक यवतमाळ यांना या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 1089/2016 दिनांक 27.12.2016 अन्वये मुल्यांकन मागण्यांत आले असुन उपवनसंरक्षक वन विभाग यवतमाळ यांचे पत्र क्र.उवस(य)/सर्व्हे/664/2016-17 दि.6.02.2017 अन्वये सागवान झाडे मुल्यांकन प्राप्त झाले असुन सदर मुल्यांकन निवाडा ई तक्त्यामध्ये समाविष्ट करण्यांत आले आहे. मुल्यांकनाचे बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अनियमतता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहील.

| अ. क्र. | भुधारकाचे नांव | गट नं | वनझाडे प्रकार/संख्या | प्राप्त मुल्यांकन रूपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निर्मला मुकिंदराव सुभेदार | 261 | साग - 4 | 23224/- |
| 2 | सुधाकर गणपत राऊत | 271 | साग - 20 | 29223/- |
| 3 | ज्योती प्रल्हाद भलावी | 192/4 | बांबु रांझी- 5<br>बांबु - 400 नग | 9720/- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एकुण रूपये | 62167/- |

**ड) पाईपलाईनचे मुल्यांकन:** सदर प्रकरणात गट क्र.184, 199, 198, 194 मध्ये पाईपलाईन असल्यामुळे सदर पाईपलाईनचे मुल्यांकन उपअभियंता जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग यवतमाळ यांना मागीतले असता त्यांचे पत्र क्र.1148/2017 दि.13.02.17 अन्वये मुल्यांकन प्राप्त झाले असुन निवाडा ई तक्यांत समाविष्ट केले आहे. मुल्यांकनाचे बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अनियमतता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहील.

| अ. क्र. | भुधारकाचे नांव | गट नं | बांधकाम प्रकार | प्राप्त मुल्यांकन रूपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजश्री आनंदराव सुभेदार | 184 | पाईप लाईन | 15238 |
| 2 | स्मिता मोहन सुभेदार | 199 | पाईप लाईन | 586102 |
| 3 | मोहन मुकुंद सुभेदार | 198 | पाईप लाईन | 538807 |
| 4 | मोहन मुकूंद सुभेदार | 194 | पाईप लाईन | 507603 |
| | | | एकुण रूपये | 1647750 |

**इ) विहीरीचे/बोअरवेलचे/बांधकामाचे मुल्यांकन :** संयुक्त मोजणी अहवालानुसार संपादित क्षेत्रात येत असलेल्या विहिरीचे मुल्यांकन या कार्यालयाचे पत्र क्र. 1093/2016 दि.27.12.16 नुसार मागविण्यात आले असता कार्यकारी अभियंता जि.प.सिंचन विभाग, यवतमाळ यांचे कडुन पत्र क्र. 807 दि. 18/04/17 व पत्र क्र. 850 दि. 24/04/16 नुसार विहिरीचा मुल्यांकन अहवाल खालीलप्रमाणे प्राप्त झाला आहे. मुल्यांकन अहवालाचे पत्रात त्यांनी गट नं. 292, 173,172 या मध्ये विहिर आढळून आली नसल्याचे नमुद केले आहे. व उर्वरीत विहिरींचा मुल्यांकन अहवाल उचित समजून अंतिम निवाडयात समाविष्ट करण्यात येत आहे. मुल्यांकनाचे बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अनियमतता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहील.

| अ. क्र. | भुधारकाचे नांव | गट नं | बांधकाम प्रकार | प्राप्त मुल्यांकन रूपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुधाकर गणपत राउत | 271 | विहिर 1 | 115716 |
| **2** | **राजश्री आनंदराव सुभेदार** | **184** | **विहिर 1** | **240314** |
| 3 | बहिणाबाई केशव राठोड व इतर | 262 पै | विहिर 1 | 105311 |
| 4 | निर्मला मुकुंद सुभेदार (एकुण विहिरी 2) | 261 | विहिर 1<br>विहिर 1 | 211086/-<br>232024/- |
| 5 | योगेश वामन राठोड | 200 | विहिर 1 | 356143/- |
| **6** | **स्मिता मोहन सुभेदार** | **199** | **विहिर 1** | **333691/-** |
| **7** | **मोहन मुकूंद सुभेदार** | **198** | **विहिर 1** | **382201/-** |
| **8** | **मोहन मुकूंद सुभेदार** | **194** | **विहिर 1** | **365078/-** |
| **9** | **नारायण धुलसिंग राठोड** | **291/1** | **विहिर 1** | **128054/-** |
| 9 | बबन डोमा राठोड | 292 | विहिर 1 | विहिर आढळुन आली नाही |
| 10 | रविकांत मोहन राठोड | 173 | विहिर 1 | विहिर आढळुन आली नाही |
| 11 | नारायण परसराम राठोड | 172 | विहिर 1 | विहिर आढळुन आली नाही |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एकुण रूपये | 2469618/- |

उपरोक्त तक्तयात नमुद केलेल्या विहिरीच्या मुल्यांकनापैकी गट क्र. 268, 184,198,199,194 व 291/2 मध्ये ऊस हे बारमाही ओलीताचे पिक संपादन क्षेत्रामध्ये आढळून आले असल्याने सदर गट नं. करीता जिरायत दराच्या अनुक्रमे 2 पट व दिडपट जमिनीचे मुल्यांकन देण्यात आले असल्याने सदर गटातील विहिरीकरीता प्राप्त झालेले मुल्यांकन देय होत नसल्याने ई- विवरण पत्रात विहिरीचे मुल्यांकन समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत.

**14) ताबा :** संपादनाखालील जमिनीच्या ताबा संपादन संस्थेने आगाऊ ताबा घेतलेला नाही.

**15) मालक व कुळ यांचे तील संविभाजन :** अंतिम मोबदला देतेवेळी वाद नसल्यास संविभाजन करण्यात येईल व वाद न्याय निवाडयाकरीता प्रकरण दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येईल.

16) दिलासा रक्कम : भुसंपादन अधिनियम 2013 मधील अधिनियम कलम 30(1) मधील तरतुदी नुसार संपादीत जमिनीच्या मुल्यांकनावर 100% दिलासा रक्कम आकारण्यात आली असुन ती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ई मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे देण्यात आली आहे.

**17) अतिरीक्त घटकाची रक्कम :** भुसंपादन अधिनियम 2013 मधील कलम 30(3) मधील तरतुदी नुसार 12 टक्के अतिरीक्त घटकाची रक्कम 11(1) ची अधिसुचना ते ताबा दिनांक किंवा निवाडा दिनांकापावेतो या पैकी जी आधी असेल त्या तारखपावेतो देय करावे असे स्पष्ट नमुद असल्याने सदर प्रकरणात कलम 11(1) ची अधिसुचना गांवचावडीवर दिनांक 26/05/2016 ला प्रसिध्द करण्यात आली असल्यामुळे दरसाल दर शेकडा 12% प्रमाणे अतिरीक्त घटकाची रक्कम अंतिम निवाडयाचे दिनांकापर्यंत म्हणजे दिनांक 25/05/2016 ते 22/05/2017 पर्यंत एकून 11 .27 (362 ) साठी आकारण्यात आली असून ती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ई मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

**18) शासकिय व निमशासकिय रकमेची वसुली :** सदर्हू प्रकरणामध्ये संपादीत होत असलेल्या जमिन मालकाकडे काही शासकिय व निमशासकिय वसुली येणे बाकी असेल अशा कर्ज वाटणाया संस्थांना मोबदला वाटपावेळी आवश्यक कागदपत्रसहीत हजर राहण्याबाबत कळविण्यात येईल.व त्याप्रमाणे भुगतान जमिन मालकास करण्याचे सांगण्यात येईल.

**19) भुमिधारी (वर्ग २) मालकाच्या संपादीत जमिनीबाबत :** संपादनातील कांही भुधारकाची जमिन भोगवटा वर्ग 2 ची असल्यामुळे भुस्वामी करीता 10 टक्के कपात करण्यात .

**20) आगाऊ मोबदला वसुली :** सदर्हू भुसंपादन प्रकरणात भुधारकांना अदा करण्यात आलेला नाही.

**21) मुल्यांकनाचा तपशिल :** कलम २८ नुसार सर्व प्रकारच्या मुल्यांकनाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र | मोबदला तपशील | मोबदला रुपये |
|---|---|---|
| 1 | प्रति हे. दरानुसार जमिनीची किंमत कलम 26(1)नुसार | 28402802/- |
| 2 | गुणांक 2.00 नुसार जमिनीची किंमत कलम 26(2) नुसार | 56805604/- |
| 3 | फळझाडाची किमत | 59530/- |
| 4 | वनझाडाची किमत | 62167/- |
| | पाईपलाईनचे मुल्यांकन | 1647750/- |
| 5 | विहीरीची किंमत | 1020280/- |
| 6 | एकून रुपये | **59595331/-** |
| 7 | एकून रक्कमेवर 100% दिलासा रक्कम (कलम 30(1) नुसार) | **59595331/-** |
| 8 | कलम ३०(३)नुसार जमीन मुल्य रकमेवर 12% अतिरीक्त घटकाची रक्कम एकून 11 महिन्यासाठी. दि.25.05.16 ते 22.05.17 (362 दिवस) (11 म.27 दिवस) | 7092661/- |
| 9 | एकून रुपये | 126283323/- |
| 10 | भोगवटा 2 चे 10 टक्के कपात रक्कम | 1133053/- |
| 11 | वाटप करावयाचा मोबदला रुपये | 125150270/- |
| 12 | 3 टक्के आस्थापना सेवाशुल्क | 3788500/- |
| 13 | 3 टक्के सोई सुविधा खर्च | 3788500/- |
| 14 | एकुण निवाडा रुपये | 133860322/- |

एकुण अक्षरी **तेरा कोटी अडतीस लाख साठ हजार तिनशे बावीस फक्त**

.

.

( विजय स. भाकरे)
उपजिल्हाधिकारी,(भुसंपादन )
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ.

## <u>अंतिम निवाडा</u>

भुसंपादन प्रकरण क्र. 21/47/15-16 मौजा तिवसा ता. जि.यवतमाळ

मी विजय सहदेवराव भाकरे, उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 नूसार दि.22/05/2017 रोजी निवाडा पारीत करीत आहे.

1) सदर प्रकरणात भुसंपादन पुनवर्सन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 अन्वये मुल्याकन निर्धारीत करून खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार प्रति हेक्टर **वाजवी मुल्यांकन** निर्धारीत केले आहे.

| अ. क. | जमिनीचा आकार गट | शिघ्रशिध्द गणकानुसार प्र हे.आर दर | खरेदी विक्री नुसार प्र हे.आर दर | खरेदी विक्री / शिघ्रशिध्द गणकानुसार इ-विवरणपत्रात मूल्यांकनाकरिता घेण्यात आलेला प्र हे.आर दर | अंतिम निवाडयानुसार सर्व घटक धरुन भूधारकांना देय होणारा प्र.हे.आर दर | पटीत वाढ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 ते 1.25 | रु.497000/- | रु. 436050/- | 4,97,000/- | 2106300/- | 4.24 |
| 2 | 1.26 ते 2.50 | रु.520000/- | रु. 484500/- | 5,20,000/- | 2203774/- | 4.24 |
| 3 | 2.51 ते 5.00 | रु.537000/- | रु.538300/- | 5,38,300/- | 2281330/- | 4.24 |

2) संपादित जमिनीचे खरे व नक्की असे क्षेत्र 41.78 हे.आर. आहे. (सरकारी जमिन 4.94 हे.आर.आहे.)

3) निवाडयाची एकुण निश्चित केलेली रक्कम 126283323/- यावर 3% आस्थापना सेवा शुल्क रू. 3788500/-, सोई सुविधा शुल्क खर्च 3% रू. 3788500/-, भो.वर्ग 2 ची 10% कपात रक्कम 1133053/- असे एकुण रूपये 133860322/- (एकूण अक्षरी रुपये तेरा कोटी अडतीस लाख साठ हजार तिनशे बावीस फक्त)

4) सर्व प्रकारची कपात वजा जाता निवाडयाची निव्वळ रक्कम जी जमिन मालकांना ई तक्त्यात दर्शविल्यानुसार या निवाडयामध्ये वाटप करणे आहे. रू. 125150270 /- (अक्षरी रूपये बारा कोटी एकावन लाख पन्नास हजार दोनशे सत्तर केवळ)

5) हा निवाडा जाहिर करण्यापुर्वी भुसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांची सदर प्रारूप निवाडयास यांचे पत्र क.राजस्व-3/भु.सं.-1/कावि/367/2017 दि.04/05/2017 अन्वये मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

6) असे सुचीत करण्यात येते की, निवाडयात नजर चुकीने अंकगणितीय टंकलेखनाच्या चुका झाल्यास त्या हा निवाडा जाहीर झाल्यापासुन सहा महिण्याचे आत माझे निदर्शनास आणुन दयावी.

7) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 प्रमाणे संपादीत जमिन उपमुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे, वर्धा यांचे स्वाधीन राहील.

दिनांक ः 22/05/2017 **(विजय स.भाकरे)**

**उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)**

**रस्ते ,**

| अ.क्र. | गट क्र | एकुण क्षेत्र | एकुण आकार | खरेदी क्षेत्र हेआर | खरेदी दिनांक | खरेदीची किंमत | खरेदीची प्र.हे. किंमत | दर हेक्टरी आकार | आकार गट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एकुण उपलब्ध आकार क्र. ग्रुप 2 चे व्यवहार | | | | | | |
| 1 | 278 | 1.21 | 2.15 | 1.21 | 27/01/2014 | 754000/- | 623140 | 1.77 | 2 |
| 2 | 243 पै. | 4.93 | 9.50 | 1.21 | 18.07.13 | 325000/- | 268595 | 1.92 | 2 |
| 3 | 276 पै. | 1.51 | 2.80 | 0.80 | 22.02.16 | 560000/- | 700000/- | 1.85 | 2 |
| 4 | 177 | 1.21 | 2.30 | 1.21 | 19.03.2016 | 835000/- | 690082/- | 1.90 | 2 |
| | | विचारार्थ घेण्यात आलेले ५० टक्के व्यवहार | | | | | | | |
| 3 | 276पै. | 1.51 | 2.80 | 0.80 | 22.02.16 | 560000/- | 700000 | 1.85 | 2 |
| 4 | 177 | 1.21 | 2.30 | 1.21 | 19.03.2016 | 835000/- | 690082 | 1.90 | 2 |
| | | | | | | एकूण- | **1390082/-** | | |
| | | | | | | सरासरी दर हेक्टरी दर | **695041/- i.e. Rs. 695100/-** | | |

वरीलप्रमाणे आकारगट क्रमांक 2 च्या जमीनीकरीता प्रति हेक्टरी दर रुपये **695100/-** ईतका येतो.

| अ.क्र. | गट क्र | एकुण क्षेत्र | एकुण आकार | खरेदी क्षेत्र हेआर | खरेदी दिनांक | खरेदीची किंमत | खरेदीची प्र.हे. किंमत | दर हेक्टरी आकार | आकार गट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एकुण उपलब्ध आकारगट क्र. 3 चे व्यवहार | | | | | | |
| 1 | 32 | 2.00 | 5.10 | 2.00 | 25.02.14 | 860000/- | 430000 | 2.55 | 3 |
| 2 | 201 | 2.00 | 5.96 | 2.00 | 29.01.15 | 1000000/- | 500000 | 2.98 | 3 |
| 3 | 325 | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 10.03.15 | 450000/- | 478723 | 2.65 | 3 |
| | | विचारार्थ घेण्यात आलेले ५० टक्के व्यवहार | | | | | | | |
| 2 | 201 | 2.00 | 5.96 | 2.00 | 29.01.15 | 1000000/- | 500000 | 2.98 | 3 |
| 3 | 325 | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 10.03.15 | 450000/- | 478723 | 2.65 | 3 |
| | | | | | | एकूण- | **978723/-** | | |
| | | | | | | सरासरी दर | **489400/-** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | हेक्टरी दर | | | |

आकारगट क्रमांक 1 च्या जमीनीचा मुल्यांकनाचे कालावधीतील एकही व्यवहार उपलब्ध नसल्यामुळे सदर जमीनीस आकारगट क्र.2 च्या जमीनीच्या दरास 10% रक्कम वजावट करुन आकारगट क्रमांक 1 च्या जमीनीचा दर निश्चित करण्यांत येत आहे. त्यानुसार आकारगट क्रमांक 1 च्या जमीनीकरीता प्रति हेक्टरी दर रुपये 625600/- ईतका येतो.

वरीलप्रमाणे आकारगट क्रमांक 3 च्या जमीनीकरीता प्रति हेक्टरी दर रुपये **489400/-** ईतका येतो. सदर दर हा आकारगट क्रमांक 2 च्या जमिनीपेक्षा कमी येत असल्यामुळे, आकारगट क्रमांक 2 च्या दरास 10% वाढ देऊन आकारगट क्रमांक 3 चा दर निश्चित करण्यांत येत आहे. त्यानुसार आकारगट क्रमांक 3 च्या जमिनीकरीता प्रति हेक्टरी रुपये 764600/- ईतका येतो.